

एच. एफ. सी. के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

3104. श्री भद्रेश्वर बुरागोहाई :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "एच. एफ. सी. स्टाफ्स पेमेन्ट ग्राफ वेजेज टू वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित ममाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर्थिक संकट के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना दूसर हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और कुल कितने कर्मचारियों को कितने महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है ; और

(घ) इस कारपोरेशन में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या सभव प्रयास किए गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले कुछ महीनों में कम्पनी को पेश आ रही वित्तीय बाधाओं के कारण एम. एफ. सी. के सभी कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ ।

(ग) सभी कर्मचारियों को जून, 1992 माह तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

(घ) एच. एफ. सी. में कर्मचारियों की कुल संख्या 4613 है । एच. एफ. सी. के लिए निधि एकत्रित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि वह अपने दायित्वों को पूरा कर सकें ।

उर्वरकों का सीधा आयात

3105. डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1992 के दैनिक "पायोनियर" में "डायरेक्ट इम्पोर्ट ग्राफ फर्टिलाइजर इनपुट्स सेवज रूपीज 34 करोड़ इन फारेक्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में अन्य उद्योगों में काम आने वाले रसायनों का उपभोक्ताओं द्वारा सीधा आयात किये जाने के लिए संबंधित विभागों से सिफारिश करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आयात एवं निर्यात नीति 1992-93 के अध्येधीन आयातों की अर्थोकार्य सूची में शामिल रसायनों को छोड़कर सभी रसायनों का आयात विना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है । इन सभी रसायनों के संदर्भ में आयात की पद्धति पर निर्णय लेने का अधिकार उपभोक्ताओं पर छोड़ दिया जाता है ।

Caprolactum plant in Kerala

3106. SHRI N. E. BALARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 50,000 tonne capacity Caprolactum plant of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited in Kerala is threatened with closure as its product stocks are accumulating following the recent customs duty concession;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the reasons for reducing customs duty on imported Caprolactum; and

(d) what steps are proposed to be taken to save two Caprolactum plants of the F.A.C.T. and Gujarat State Fertilizer Corporation (GSFC)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN):

(a) and (b) M/s. Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. has a Caprolactum Plant at Pidyogamandal, Kerala, with an installed capacity of 50,000 TPA. Lately, FACT has been facing difficulty in marketing its Caprolactum in view of the reduction in import duty on imported Caprolactum. As on 30-7-92, the company has an unsold stock of 5773 MT of Caprolactum. The company has no intention of curtailing the production or closing down the plant.

(c) and (d) The import duty on Caprolactum was reduced from 80 per cent to 50 per cent in the Budget for 1992-93 in order to ensure supplies of both imported and domestic Caprolactum to industries at reasonable prices. FACT has represented to the Government for reviewing the customs duty leviable on imported Caprolactum and for reduction in the price of raw materials used for manufacturing Caprolactum.

फको" के फूलपुर एकक में स्थायी रोजगार

3107. श्री सयप्रकाश मालवीय :

श्री राम गोपाल यादव :

श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करने की :

(क) क्या यह सच है कि "इफको" के फूलपुर एकक (इलाहाबाद) के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के स्वामियों के परिवारों में से किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से "इफको" में रोजगार नहीं दिया गया है क्योंकि 1980 से आज तक लगातार ठेके पर 436 मजदूरों को लगाया हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि प्रशिक्षण संस्थान, फूलपुर के प्रधानाचार्य और अन्य दो प्रशिक्षकों को दी इफको का वेतनमान और अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं और अन्य प्रशिक्षकों को यह सब नहीं दिया जाता है ;

(ग) क्या उक्त प्रशिक्षण संस्थान "इफको" द्वारा चलाया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त एकक में अधिकांशतः आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को काम और ठेका दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों को कोई लाभ या ठेका देने का कोई प्रावधान है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं। इफको के फूलपुर एकक ने भूमिहीन होने वाले 271 परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को नियमित रोजगार प्रदान किया है। इफको के ठेकेदारों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या कार्य की मात्रा पर निर्भर रहते हुए 250 से 500 के बीच है।

(ख) और (ग) फूलपुर में मोतीलाल नेहरू फारमर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, को-आपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (कोर्डेट) द्वारा स्थापित किया गया था। कोर्डेट इफको द्वारा प्रवर्तित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। प्रशिक्षण को संस्थान द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक सेवाओं के एक भाग के रूप में प्रधानाचार्य तथा फार्म मैनेजर एवं दो निदेशक शामिल हैं। इफको के कर्मचारी होने के कारण, वे इफको की रोजगार की शर्तों द्वारा शासित होते हैं। कोर्डेट के अन्य कर्मचारी की रोजगार की शर्तों द्वारा शासित होते हैं।

(घ) और (ङ) इफको इस बात से अवगत नहीं है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को उनके द्वारा ठेका दिया गया है। इफको की खरीद प्रक्रियाओं में अ.जा/अ.ज.जा. के व्यक्तियों को ठेके प्रदान करने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान की व्यवस्था नहीं है।